

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

①

Part I

70-रवटीमा

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए

रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं पुष्कर सिंह छात्री पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री शेर सिंह आयु 36 वर्ष (16.9.1975)

जो ग्राम-बगला तराई तह. रवटीमा का/क्री निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/क्री अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करती):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं N.A. X
(II) पुलिस थाना (थाने) X N.A. जिला (जिले) X N.A. राज्य X N.A.
(III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है N.A. N.A.
(IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की कई N.A.
(V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था X N.A.
(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं X N.A.

2. गुंडों किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं N.A.
(II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है N.A.
(III) पुलिस थाना (थाने) X N.A. जिला (जिले) X N.A. राज्य X N.A.
(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है N.A.
(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे X N.A.
(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं X N.A.

स्थान:- रवटीमा

तारीख:- 10/01/2012


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान पर आज तारीख 10/01/2012 को सत्यापित किया।

रवटीमा



स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाए।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 15 का 6

12

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TE
RUF
CANCELED
NOTARIAL
FIVE RUPEES
NOTARIAL

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

Part II

14AA 410227



शपथ पत्र -

प्ररूप - 26
(नियम 4 क देखिए)

Executant Identified By Me

Sworn and affirm before me by
Smt./Sri. Pankaj Singh Thami
Identified by Sri. M. M. Siddiqui
The content of the affidavit read over
to her/him of the further understanding
that the deponent declaration is true.
Declared at Khatima dt. 10.1.2012

Ram Bachan
10.1.2012

Ram Bachan (Advocate)
NOTARY
KHATIMA (U.S.Nagar)
Uttarakhand (India)
Regd No.-43(G3)/2011

Pankaj Singh Thami
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर